न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
अजयराज पुत्र प्रतापचंदजी, जाति–जैन, निवासी–मण्डार, हाल–शिवगंज, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
ग्राम पंचायत, मण्डार जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, मण्डार, तह. रेवदर, जिला–सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 33/2021

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह आढा, प्रार्थी निगरानीकर्ता की ओर से
2. अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, अप्रार्थी की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 31 मार्च, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी स्थगन आदेश क्रमांकःपंचायत/2021–22/176 दिनांक 10.8.2021 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम मण्डार में शीतल नगर में भूखण्ड संख्या 1 व 29 क्षेत्रफल 967.77 वर्गगज की आवासीय प्रयोजनार्थ रुपान्तरित शुदा भूमि आई हुई है जिसका रुपान्तरण आदेश सनद संख्या 89/54 दिनांक 27.6.89 को जारी किया गया है, यह भूमि प्रार्थी के मालकी स्वामित्व की सम्पति है। उक्त सम्पति में से भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 602.97 वर्गमीटर में आवासीय निर्माण हेतु प्रार्थी ने नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृत हेतु प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, मण्डार में दिनांक 05.3.2020 को प्रस्तुत किया एवं उक्त प्रार्थना पत्र के साथ सनद, निर्माण के नक्शें व भूखण्ड का ले आउट नक्शा की प्रति प्रस्तुत की। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर आपत्ति पत्र जारी किया व कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, मण्डार में नियमानुसार निर्माण स्वीकृति शुल्क राशि रुपये 1206/– जमा करवाने के बाद ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नक्शों को अनुमोदित कर निर्माण स्वीकृति आदेश क्रमांकः2020–21/350 दिनांक 12.1.2021 को जारी किया गया है। उक्त निर्माण स्वीकृति आदेश जारी होने के बाद प्रार्थी ने अनुमोदित नक्शा अनुसार निर्माण कार्य शुरु किया एवं मौके पर प्रार्थी की निर्माण सामग्री पडी हुई है तथा निर्माण कार्य नियमानुसार मौके जारी रखा। मौके पर प्रार्थी ने स्वीकृति अनुसार काफी निर्माण कार्य कर लिया है और उसके बाद ग्राम पंचायत, मण्डार ने गलत रुप से बिना कोई जांच पडताल किये उक्त निर्[illegible]स का निर्माण मानते हुए मौका स्थल पर निर्माण कार्य तुरन्त प्रभाव [illegible] अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा निर्माण [illegible] कर दिया। इस संबंध में प्रार्थी ने दिनांक 12.8.2021 को [illegible] जवाब प्रस्तुत कर

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:20:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अनुरोध किया कि प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत से अनुमोदित नक्शा के अनुसार ही मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है एवं उक्त निर्माण कार्य आवासीय प्रयोजनार्थ ही किया जा'रहा है। असामाजिक तत्वों द्वारा गलत, झूठी व मिथ्या तथ्यो के आधार प्रार्थी के विरुद्ध शिकायत की गई है एवं शिकायत पर किसी प्रकार की जांच व सुनवाई किये बिना ही निर्माण कार्य रोकने के संबंध में स्थगन आदेश दिनांक 10.8.2021 को जारी किया है वह कानूनन गलत है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने अपने मालिकी स्वामित्व के आवासीय भूखण्ड पर ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित नक्शा के अनुरुप ही निर्माण कार्य किया है। नक्शें के अलावा किसी प्रकार का कोई कार्य नही किया है, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा गलत रुप से उक्त निर्माण कार्य को व्यवसायिक निर्माण कार्य मानने में भूल की गई है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार कर ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी उक्त स्थगन आदेश क्रमांक 176 दिनांक 10.8.2021 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी ग्राम पंचायत, मण्डार के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने भवन निर्माण स्वीकृति हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु साथ में प्रार्थी ने निर्माण के नक्शें व भूखण्ड का ले आउट नक्शा ग्राम पंचायत में प्रस्तुत नही किया एवं प्रार्थी ने केवल अपने निवास हेतु मकाने के लिये निर्माण की स्वीकृति मांगे जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा कोई नक्शा ले आउट अनुमोदित नही किया गया है, केवल आवासीय भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। प्रार्थी ने इस आवासीय निर्माण स्वीकृति की आंड में इस भूमि पर वाणिज्यिक कॉम्पलेक्श का निर्माण करवाने लगा जो ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी को जारी निर्माण स्वीकृति के विरुद्ध है। प्रार्थी द्वारा आवासीय निर्माण के स्थान वाणिज्यिक काम्पलेक्स निर्माण कार्य करवाये जाने की शिकायत ग्राम मण्डार वासियों द्वारा ग्राम पंचायत को करने पर ग्राम पंचायचत द्वारा मौका कमेटी से मौका निरीक्षण करवाया जिसमें मौके पर आवासीय निर्माण की आड में वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जाना पाया जाने पर प्रार्थी के विरुद्ध निर्माण कार्य रोकने हेतु नियमानुसार स्थगन आदेश जारी किया गया व दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया, लेकिन प्रार्थी ने ग्राम पंचायत में दस्तावेज प्रस्तुत नही किये। प्रार्थी इस निगरानी आवेदन की आड में वाणिज्यिक निर्माण कार्य करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध निर्माण कार्य रोकने हेतु जारी स्थगन आदेश क्रमांकःपंचायत/2021—22/176 दिनांक 10.8.2021 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी द्वारा यह निगरानी आवेदन मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि "ग्राम मण्डार में शीतल नगर में भूखण्ड संख्या 1 व 29 क्षेत्रफल 967.77 वर्गगज की आवासीय प्रयोजनार्थ रुपान्तरित शुदा भूमि आई हुई है जिसका रुपान्तरण आदेश सनद संख्या 89/54 दिनांक 27.6.89 को जारी किया गया है, यह भूमि प्रार्थी के मालकी स्वामित्व की सम्पति है। उक्त सम्पति में से भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 602.97 वर्गमीटर में आवासीय निर्माण हेतु प्रार्थी ने नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृत हेतु प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत, मण्डार में दिनांक 05.3.2020 को प्रस्तुत किया एवं उक्त प्रार्थना पत्र के साथ सनद, निर्माण के नक्शें व भूखण्ड का ले आउट नक्शा की प्रति प्रस्तुत की। जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण औपचारिकता पूर्ण कर आपत्ति पत्र जारी किया व कोई आप[illegible] नही होने पर प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, मण्डार में नियमानुसार निर्माण स्वी[illegible] शु[illegible] राशि रुपये 1206/— जमा करवाने के बाद ग्राम पंचाय[illegible] प्रस्तुत नक्शों को अनुमोदित कर निर्माण स्वीकृ[illegible]/350 दिनांक 12.1.2021 को

......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:20:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

जारी किया गया है।'' जबकि अप्रार्थी का कथन है कि ''प्रार्थी द्वारा निर्माण स्वीकृति की आड में आवासीय भवन का निर्माण नही करवाकर वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है।''

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, मण्डार में प्रार्थी द्वारा दिनांक 05.3.2020 को निर्माण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया व आवेदन के साथ सनद पट्टे की छाया प्रति व भूखण्ड ले आउट नक्शें की प्रति प्रस्तुत की गई। जिस पर ग्राम पंचायत, मण्डार द्वारा प्रार्थी के पक्ष में ग्राम मण्डार में शीतल नगर भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 602.97 वर्गमीटर पर भवन निर्माण स्वीकृति आदेश क्रमांकः2020–21/350 दिनांक 12.01.2021 को जारी किया गया है। उक्त भवन निर्माण स्वीकृति ग्राम मण्डार में शीतल नगर में सनद संख्या 89/54 दिनांक 27.6.1989 के अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ रुपान्तरित भूमि 602.97 वर्ग मीटर पर निर्माण की जारी की गई है। ऐसी स्थिति में, यदि प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड पर ग्राम पंचायत, मण्डार के उक्त निर्माण स्वीकृति आदेश के अनुरुप आवासीय भवन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है तो उसे रोका जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, मण्डार को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी अजयराज पुत्र प्रतापचंद जी, जाति– जैन, निवासी– मण्डार द्वारा ग्राम पंचायत, मण्डार के निर्माण स्वीकृति आदेश क्रमांक 350 दिनांक 12.1.2021 के अनुरुप आवासीय भवन का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है तो प्रार्थी को आवासीय भवन निर्माण कार्य करने से नही रोका जावे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:20:04 IST
Reason: SelfAttested